

मुकदमों का विवरण

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम

मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड।

(2015 की सिविल अपील सं. 5858) सितंबर 06, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:शब्द और अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक उद्देश्य" की व्याख्या नेड यू/एस। 2(1)((घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986**-'वाणिज्यिक उद्देश्य'-अधिनियम की अवहेलना नहीं-स्पष्टीकरण (**1993** के उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम **50** द्वारा जोड़ा गया:

आयोजित किया गया:अधिनियम के अंतर्गत 'वाणिज्यिक उद्देश्य' अभिव्यक्ति की अवहेलना नहीं की गई है-इसके अभाव में किसी को इसके सामान्य अर्थ से जाना पड़ता है-'वाणिज्यिक' का अर्थ है 'वाणिज्य से संबंधित'; इसका अर्थ है 'वाणिज्य से जुड़ा हुआ' या उसमें संलग्न; व्यापारिक; 'मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ प्राप्त करना'; व्यापार और सामान्य रूप से व्यापार या वाणिज्य से संबंधित या जुड़ा हुआ है, व्यवसाय और वाणिज्य के साथ जुड़ा हुआ है-स्पष्टीकरण (1993 के उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 50 द्वारा जोड़ा गया है (1993 के 24 के अध्यादेश के स्थान पर)। 18.06.1993) 'वाणिज्यिक उद्देश्य' अभिव्यक्ति के दायरे से कुछ उद्देश्यों को बाहर करता है-स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि 'वाणिज्यिक उद्देश्यों' के लिए कुछ स्थितियों में खरीदारी भी खरीदार को 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की अवहेलना से बाहर नहीं निकालेगी-दूसरे शब्दों में, यदि वाणिज्यिक उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो माल का ऐसा खरीदार 'उपभोक्ता' बना रहेगा।[पैरा 12]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986**-"वाणिज्यिक उद्देश्य"-**"वाणिज्यिक उद्देश्य"** के लिए खरीद का पता लगाने के लिए-शिकायत में किया गया दावा महत्वपूर्ण-प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना था-कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है:

394

395

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड।

आयोजित किया गया:यदि खरीदार स्वयं स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक उपयोग करता है, तो माल का ऐसा खरीदार एक 'उपभोक्ता' बना रहेगा-जब उपभोक्ता न्यायालय या आयोग के समक्ष दायर शिकायत में यह दावा किया

जाता है कि ऐसी वस्तुओं को आजीविका कमाने के लिए खरीदा जाता है, तो ऐसी शिकायत को शुरू में ही समाप्त नहीं किया जा सकता है और खारिज नहीं किया जा सकता है-पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन दलीलों के आधार पर किया जाना होगा और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचना होगा-ऐसी शिकायत के कारण शिकायतकर्ता को 'उपभोक्ता' शब्द की अवज्ञा के दायरे में नहीं आने के लिए गणितीय सटीकता के साथ कोई अवज्ञा सूत्र नहीं हो सकता है।^{2(1)(डी)}।[पैरा 12]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986**-"उपभोक्ता"-उपभोक्ता की अवज्ञा से या तो पुनर्विक्रय के लिए या बड़े पैमाने पर लाभ कमाने की गतिविधि में उपयोग के लिए सामान खरीदने वाले व्यक्तियों को बाहर करना-संसद का उद्देश्य:

आयोजित किया गया:संसद ने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को प्रज्वलित करने के लिए 'उपभोक्ता' के दायरे से बाहर रखा है, एक व्यक्ति जो माल या सेवाओं को पुनः बिक्री के लिए या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है-सामान्य शब्दकोश के अनुसार परिभाषा खंड में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को देखते हुए संसद का इरादा "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर करना होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर लगी किसी भी गतिविधि में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से सामान खरीदता है-'किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए' शब्दों को वस्तुओं के पुनर्विक्रय के अलावा अन्य मामलों को शामिल करने के रूप में समझा जाना चाहिए-इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा केवल उन व्यक्तियों को नहीं है जो सामान प्राप्त करते हैं।[पैरा 11]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986**-एन. सी. डी. आर. सी. ने अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा बुक की गई वाणिज्यिक जगह को स्व-रोजगार या अन्य क्षेत्रों में आजीविका कमाने के उद्देश्य से नहीं कहा जा सकता है।

396 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

शब्द अपीलार्थी उपभोक्ता नहीं हैं।**2(1)((घ)** अधिनियम-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:आयोग के समक्ष दायर शिकायत के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ताओं ने विशिष्ट रूप से अनुरोध किया है कि वे "अपने स्व-रोजगार के लिए और अपना व्यवसाय चलाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए" आधिकारिक स्थान की तलाश में थे-आयोग द्वारा शपथ पर दर्ज किए गए बयान में, शिकायत की स्थिरता की सुनवाई करते हुए, प्रथम अपीलार्थी ने कहा है कि वह पहले मेसर्स के डीलर के रूप में कास्टिक सोडा के व्यवसाय में लगे हुए थे। 'आर' इंडस्ट्रीज और वर्तमान में निवेश/संपत्ति के लेन-देन के व्यवसाय में लगे हुए हैं-उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने प्रत्यर्थी से आधिकारिक स्थान खरीदने का प्रस्ताव या तो उसे अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से किया था या उक्त संपत्ति को भविष्य में बेचे जाने के लिए एक निवेश के रूप में खरीदा जा रहा था-अपीलार्थी का बयान था कि वह निवेश/संपत्ति के लेन-देन के व्यवसाय में लगा हुआ

था, वास्तव में यह सुझाव या संकेत नहीं देगा कि प्रत्यर्थी से खरीदी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थी-यह विवाद में नहीं है कि कुल मिलाकर प्रत्यर्थी को अपीलकर्ताओं से Rs.51,10,117/- की राशि प्राप्त हुई है-इक्विटी को संतुलित करने के लिए, प्रत्यर्थी को अपीलकर्ताओं से प्राप्त राशि को वापस करने का निर्देश दिया गया है।[पैरा 13,16 और 17]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

सिंको टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड, 1990

एससीसी ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 3:(1991) 1 सी. पी. जे. 499; लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल

ट्रस्ट बनाम अद्वितीय शांति डेवलपर्स और अन्य, (2020) 2 एस. सी. सी. 265:[2019] 14 एससीआर 563; लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी. एस. जी. औद्योगिक संस्थान, (1995)

3 एससीसी 583:[1995] 3 एस. सी. आर. 174-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2015 की सिविल अपील No.5858/2015 के उपभोक्ता शिकायत No.276 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के दिनांक 11.05.2015 के निर्णय और आदेश से।

397

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड।

रूप:

दिगेंद्र शर्मा, अजय कुमार सिंह, अनुभव भंडारी, निहारिका दुबे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. आर. शमशाद, अतुल शर्मा, अंकुर शर्मा, आलोक त्रिपाठी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय
का

निर्णय अरविंद कुमार, जे।

1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत शब्द और अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक उद्देश्य" की व्याख्या (संक्षिप्तता के लिए इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) इस अपील में महत्वपूर्ण मुद्दा है।

फैक्ट मैट्रिक्स

2 अपीलार्थी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 'विपुल वर्ल्ड कमर्शियल' नामक परियोजना में एक वाणिज्यिक स्थान खरीदने का इरादा रखते थे, जिसे प्रतिवादी द्वारा प्रचारित किया गया था। यह जानने के बाद कि श्रीमती बिंदु रॉले और श्री तलविंदर सिंह प्रत्यर्थी द्वारा उन्हें आवंटित उपरोक्त वाणिज्यिक परिसर में तीसरी मंजिल पर आधिकारिक इकाई में अपने शेयरों को बेचने का इरादा रखते हैं, अपीलार्थी इसे खरीदने के लिए सहमत हो गए और तदनुसार अपने विक्रेताओं को पूरी सहमत राशि का भुगतान किया। उक्त अंतरण को स्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों के विक्रेताओं के नामों के स्थान पर अपीलार्थियों के नाम दर्ज किए गए। मूल पात्रों को आवंटित ग्राहक कोड अपीलार्थियों के नाम पर जारी रखा गया था। अपीलार्थियों और उनके विक्रेताओं के बीच यह सहमति हुई कि अपीलार्थी रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। 18,07,100 मूल अलाटी को और Rs.34 की शेष राशि, 27,050 प्रत्यर्थी को जब भी प्रत्यर्थी द्वारा मांग की जाती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए और मूल अंशधारियों को भुगतान करने पर, शेयरों की ऐसी बिक्री के तथ्य को प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था।

3 उपरोक्त परिस्थिति के बाद, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ताओं से एक मांग की और तदनुसार राशि का भुगतान किया गया जो मांग की तारीख तक बकाया थी। प्रत्यर्थी ने रसीद जारी की और "विपुल व्यवसाय" में वाणिज्यिक स्थान आवंटित करते हुए आवंटन पत्र भी जारी किया।

398

/

[2023] 14 एस सी आर।

पार्क "-105 और उसके बाद 8 वीं मंजिल पर 51,415 रुपये की बिक्री के लिए इकाई No.814 को फिर से आवंटित किया गया। इस एकतरफा परिवर्तन पर अपीलकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताई गई थी और उसी के जवाब में, प्रतिवादी ने अब तक भुगतान की गई राशि को जप्त करने और आधिकारिक स्थान के आवंटन को रद्द करने की धमकी दी थी। 4 प्रत्यर्थी ने एक खरीदार के समझौते को अपीलार्थी को अग्रेषित किया और उनसे हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस करने का आह्वान किया और प्रचलित परिस्थितियों अंतर्गत इसका विधिवत पालन किया गया। प्रत्यर्थी ने इस तरह के समझौते के निष्पादन की तारीख से 24 महीने के भीतर अपीलार्थियों को परिसर का कब्जा देने पर सहमति व्यक्त की थी और अज्ञात कारणों से, इसे वितरित नहीं किया गया था। मध्यावधि में, अपीलकर्ताओं ने किशतों का भुगतान

करना जारी रखा जब भी प्रत्यर्थी द्वारा मांगें उठाई गईं (प्रत्यर्थी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है)। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों को जारी किए गए खाते के विवरण के अनुसार, उन्होंने रुपये की कुल प्राप्ति स्वीकार की है। 50,28,122-और सेवा कर के लिए किया गया Rs.81,995/- का भुगतान खातों के विवरण में वापस नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों को अग्रेषित भुगतान अनुसूची के अनुसार, रुपये की राशि-अधिकार सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रत्यर्थी को देय और देय थी, जो जारी नहीं की गई थी।

5 अपीलार्थियों को आवंटित आधिकारिक स्थान इकाई के कब्जे की डिलीवरी के बारे में सूचना न मिलने और आवंटित आधिकारिक स्थान का कब्जा न देने में प्रतिवादी की निष्क्रियता के कारण, अपीलार्थियों ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग से एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके तहत एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थियों ने खरीदार के दिनांकित समझौते को समाप्त करने के बाद <ID1,52,143/- की राशि <ID2,10,117/- और 18 प्रतिशत पी. ए. के ब्याज की वापसी की मांग की थी। मानसिक पीड़ा के लिए Rs.50 लाख की एक और राशि का भी दावा किया गया था। आयोग ने दिनांक आई. डी. 1 के आक्षेपित आदेश द्वारा शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत 'उपभोक्ता' नहीं हैं क्योंकि अपीलार्थी पहले से ही अपनी आजीविका के उद्देश्यों के लिए व्यवसाय कर रहे थे और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जो संपत्ति आयोग के समक्ष शिकायत का विषय थी, वह उनके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए खरीदी जा रही थी। आयोग ने यह भी राय दी कि अपीलार्थियों द्वारा बुक किया गया वाणिज्यिक स्थान लाभ अर्जित करने के लिए था और 399

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड। [अरविंद कुमार, जे.]
400

आयोग द्वारा अभिलिखित प्रथम अपीलार्थी के बयान पर भरोसा करके स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं। इसलिए याचिका दायर की गई है।

6 हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री दिगेंद्र शर्मा, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अनुभव भंडारी और श्री निहारिका दुबे और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एम. आर. शमशाद, श्री अतुल शर्मा, श्री अंकुर शर्मा और श्री आलोक त्रिपाठी की दलीलें सुनी हैं।

7 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील का यह तर्क है कि आयोग ने इस तथ्य की सराहना नहीं की थी कि अपीलार्थियों ने केवल स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका अंतर्गत ाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक स्थान बुक किया था, न कि शिकायत में अनुरोध किए गए मूल्य में वृद्धि के कारण पुनर्विक्रय या लाभ अंतर्गत ाने के उद्देश्य से; आयोग द्वारा दर्ज किए गए बयान में, अपीलार्थियों द्वारा कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उनके द्वारा बुक किया गया वाणिज्यिक स्थान लाभ अंतर्गत ाने के उद्देश्य से था और केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के

डीलरशिप व्यवसाय को चलाने और संपत्ति में निवेश के व्यवसाय में खुद को संलग्न करने के उद्देश्य से था, लेकिन यह संकेत या सुझाव नहीं देगा कि अपीलार्थियों का इरादा इसे बेचने का था; अपीलार्थियों ने हालांकि उत्तरदाता से संपर्क किया था

8 उक्त दलीलों का खंडन करते हुए, प्रतिवादी श्री एम. आर. शमशाद, श्री अतुल शर्मा, श्री अंकुर शर्मा और श्री आलोक त्रिपाठी की ओर से पेश विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि अपीलकर्ता इस आदेश की अवज्ञा के चार कोनों के भीतर नहीं आते हैं।

/

[2023] 14 एस सी आर।

‘ अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत अवज्ञा के रूप में उपभोक्ता और शिकायत की स्थिरता की सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा शपथ पर दर्ज अपीलकर्ता संख्या 1 का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रथम अपीलार्थी पहले मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक विक्रेता के रूप में कास्टिक सोडा के व्यवसाय में लगा हुआ था और वर्तमान में संपत्ति में निवेश/लेन-देन के व्यवसाय में लगा हुआ था, और यह इंगित करेगा कि अपीलार्थी पहले से ही व्यवसाय में लगे हुए थे और इसलिए, प्रश्न संपत्ति को विशेष रूप से अपीलकर्ताओं द्वारा स्व-रोजगार द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से खरीदा गया नहीं कहा जा सकता था और इस तरह, बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। वह यह तर्क देते हुए अपनी दलीलों को विस्तृत करेंगे कि अपीलकर्ता पहले से ही व्यवसाय में लगे हुए हैं और अधिनियम उन व्यक्तियों को बाहर कर देगा जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सेवाओं का लाभ उठाते हैं और अपीलकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से आजीविका कमाने के उद्देश्य से आधिकारिक स्थान नहीं खरीदा गया था; शिकायत में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है और इसे तथ्य को दबाने के लिए भी खारिज कर दिया जाना चाहिए था, अर्थात् अपीलकर्ताओं ने भुगतान में चूक की है। तदनुसार, उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग की है।

चर्चा और हमारे परिणाम:

9 राष्ट्रीय आयोग ने शुरुआत में इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अपीलार्थी "उपभोक्ता" हैं और इसका जवाब नकारात्मक दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शिकायत का निवारण करने के हकदार नहीं होंगे। अपने समक्ष शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शिकायतकर्ता संख्या 1 अपनी आजीविका के लिए मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीलरशिप व्यवसाय चला रहा था और वे संपत्ति में निवेश के व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। इसलिए, शिकायतकर्ताओं द्वारा बुक किए गए वाणिज्यिक स्थान को स्व-रोजगार द्वारा आजीविका कमाने के उद्देश्य से नहीं कहा जा सकता है या दूसरे शब्दों में अपीलार्थी

अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि में अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) को नोट करना आवश्यक होगा और यह निम्नानुसार है:

“उपभोक्ता” से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

(i) भुगतान या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत कोई भी वस्तु खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान या वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है या आंशिक रूप से

401

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड। [अरविंद कुमार, जे.]

402

भुगतान या आंशिक रूप से वादा किया गया, या स्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत, जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन करता है

इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसी वस्तुओं को पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है; या

((ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत किसी भी सेवा को [नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है] और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी सहायक शामिल है, जो भुगतान किए गए या वादे किए गए, या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है।

13 [लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है];

(हमारे द्वारा दिया गया जोर) 10.सिंको टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उपरोक्त अवज्ञा ने राष्ट्रीय आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। बनाम। ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड ने 1990 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 3:(1991) 1 सीपीजे

499 और इस न्यायालय द्वारा लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम विशिष्ट शांति डेवलपर्स और अन्य (2020) 2 एस. सी. सी. 265 में अनुमोदित किया गया। जिसके अंतर्गत

इस न्यायालय ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी. एस. जी. औद्योगिक संस्थान (1995) 3 एस. सी. सी. 583 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है:

“10. अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा से पता चलता है कि अधिनियम द्वारा बनाए गए अर्ध-न्यायिक निकाय/प्राधिकरण/एजेंसियां जिन्हें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है, वे न्यायालय ें नहीं हैं, हालांकि उनमें दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियां निहित हैं। वे अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जो उपभोक्ताओं को सस्ता और त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए अस्तित्व में लाए गए हैं। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इन मंचों/आयोगों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था, बल्कि मौजूदा न्यायिक प्रणाली का पूरक होना चाहिए था। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का सस्ता और त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करना था। इस प्रकार बनाया गया मंच न्यायालय शुल्क की आवश्यकता या न्यायालय की औपचारिक प्रक्रियाओं से बाधित नहीं है। कोई भी उपभोक्ता जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत अनिवार्य रूप से इसके द्वारा की जानी चाहिए

/

[2023] 14 एस सी आर।

स्वयं शिकायतकर्ता; कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ उसके कारण का समर्थन कर सकता है। जहाँ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की इसी तरह की शिकायत है, वहाँ एक या एक से अधिक सभी की ओर से शिकायत कर सकते हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी उनकी ओर से कार्य कर सकती हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बड़े व्यापारिक और विनिर्माण निकायों के प्रभुत्व वाले बाजार में उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मामले में न्याय और उचित व्यवहार प्राप्त करने में मदद करना था। वास्तव में, पूरा अधिनियम उपभोक्ता के इर्द-गिर्द घूमता है और उसके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अधिनियम "व्यवसाय-से-उपभोक्ता" विवादों के लिए प्रावधान करता है न कि "व्यवसाय-से-व्यवसाय" विवादों के लिए। अधिनियम की यह योजना, हमारी राय में, इस अपील में विचार के लिए आने वाले शब्दों के लिए प्रासंगिक है और उनकी व्याख्या करने में मदद करती है।

11. अब धारा 2 (घ) में 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की अवज्ञा पर वापस आते हुए, उपभोक्ता का अर्थ है जहां तक इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, (i) एक व्यक्ति जो विचार के लिए कोई वस्तु खरीदता है; यह मायने नहीं रखता है कि क्या प्रतिफल का भुगतान किया गया है या वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या क्या प्रतिफल का भुगतान स्थगित किया गया है; (ii) एक व्यक्ति जो ऐसे माल का उपयोग उस व्यक्ति की मंजूरी से करता है जो विचार के लिए ऐसी वस्तु

खरीदता है; (iii) लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है। 'पुनर्विक्रय' अभिव्यक्ति काफी स्पष्ट है। हालाँकि, "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अर्थ के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है। अधिनियम में भी इसकी अवहेलना नहीं की गई है। एक अवज्ञा के अभाव में, हमें इसके सामान्य अर्थ के अनुसार चलना होगा। 'वाणिज्यिक' इंगित करता है

"वाणिज्य से संबंधित" (चैंबर का बीसवीं शताब्दी का शब्दकोश);

इसका अर्थ है "वाणिज्य से जुड़ा हुआ, या उसमें संलग्न; व्यापारिक;

प्रोफी टी मुख्य उद्देश्य के रूप में" (कॉलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश) जबकि शब्द

'वाणिज्य' का अर्थ है "वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर माल की खरीद और बिक्री" (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश)। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग एक सुसंगत दृष्टिकोण रखता रहा है कि जहां कोई व्यक्ति "लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को चलाने के लिए इस तरह के सामान का उपयोग करने की दृष्टि से" सामान खरीदता है, वह अधिनियम की धारा 2 (डी) (आई) के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' नहीं होगा। मोटे तौर पर उक्त दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए और विशेष रूप से किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए-अभिव्यक्ति "बड़े पैमाने" एक बहुत सटीक अभिव्यक्ति नहीं है-संसद ने कदम उठाया और 403 जोड़ा।

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड। [अरविंद कुमार, जे.]
404

अध्यादेश/संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा धारा 2 (घ) (i) का स्पष्टीकरण। व्याख्या "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के दायरे से कुछ उद्देश्यों को बाहर करती है-एक अपवाद के अपवाद का मामला। आइए विस्तार से बताते हैं: एक व्यक्ति जो टाइपराइटर या कार खरीदता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग करता है, वह निश्चित रूप से एक उपभोक्ता है, लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरों के काम को विचार के लिए टाइप करने के लिए या कार को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए टाइपराइटर या कार खरीदता है, उसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए टाइपराइटर/कार का उपयोग करने वाला कहा जा सकता है। हालाँकि स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि कुछ स्थितियों में, "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए वस्तुओं की खरीद अभी तक खरीदार को "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति की अवज्ञा से बाहर नहीं निकालेगी। यदि खरीदार स्वयं स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक उपयोग करता है, तो माल का ऐसा खरीदार अभी भी एक 'उपभोक्ता' है। ऊपर दिए गए चित्रण में, यदि खरीदार स्वयं टाइपराइटर पर काम करता है या कार को स्वयं टैक्सी के रूप में चलाता है, तो वह उपभोक्ता बनना बंद नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यदि माल का खरीदार अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वयं, यानी स्व-रोजगार द्वारा, उनका उपयोग करता है, तो इसे "वाणिज्यिक उद्देश्य" के रूप में नहीं माना जाएगा और वह

अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता नहीं रहेगा। स्पष्टीकरण इस प्रश्न को कम कर देता है कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" क्या है, प्रत्येक मामले के तथ्यों में तय किए जाने वाले तथ्य के प्रश्न के लिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि माल का मूल्य क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि खरीदे गए माल का उद्देश्य क्या है। व्याख्या में प्रयुक्त कई शब्द, अर्थात्, "विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" संसद के इरादे को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि खरीदे गए सामान का उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को नियोजित करके। हम जो कहते हैं उस पर जोर देने के लिए कुछ और चित्र काम करेंगे। एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किराए पर लेने के लिए ऑटो-रिक्शा खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। इसी तरह, एक ट्रक का खरीदार जो इसे सार्वजनिक वाहक के रूप में चलाने के लिए खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को संचालित करने के लिए खराद मशीन या अन्य मशीन खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा। (उपरोक्त दृष्टान्तों में, यदि ऐसा खरीदार वाहन या मशीनरी के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए एक या दो व्यक्तियों की सहायता लेता है, तो वह उपभोक्ता बनना बंद नहीं करता है।) इसके विपरीत एक व्यक्ति जो ऑटो-रिक्शा, कार या खराद मशीन खरीदता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

या विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित या संचालित की जाने वाली अन्य मशीन उपभोक्ता नहीं होगी। व्याख्या में "उनके द्वारा उपयोग की गई अभिव्यक्तियों" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" के कारण यह आवश्यक सीमा है। "अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता को समझाया गया है और शब्दों के अन्य दो समूहों द्वारा स्पष्ट किया गया है।

15. लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम. के. गुप्ता [(1994) 1

एस. सी. सी. 243] प्रश्न यह था कि क्या घरों के निर्माण और बिक्री में लगे सार्वजनिक प्राधिकरण को 'सेवा' प्रदान करने वाला कहा जा सकता है और क्या ऐसे घरों को खरीदने वाले व्यक्ति को उक्त परिभाषा के अर्थ में 'उपभोक्ता' कहा जा सकता है। प्रत्यावेदन में प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय की एक पीठ (कुलदिप सिंह और आर. एम. सहाय, जे. जे.) ने अधिनियम की योजना और उद्देश्य और 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की अवज्ञा के दायरे की भी जांच की। निम्नलिखित टिप्पणियाँ उपयुक्त हैं: (एस. सी. सी. पी. 251-54, पैरा 2 और 3) "अधिनियम की प्रस्तावना के साथ शुरू करने के लिए, जो विधायी इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी सहायता प्रदान कर सकता है, इसे 'उपभोक्ताओं' के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए' अधिनियमित किया गया था। 'संरक्षण' शब्द का उपयोग अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी प्रदान करता है। विभिन्न अवज्ञाएं और प्रावधान जो इस

उद्देश्य को प्राप्त करने का विस्तृत रूप से प्रयास करते हैं, उन्हें इस दृष्टिकोण से अलग किए बिना इस प्रकाश में समझा जाना चाहिए कि एक प्रस्तावना किसी प्रावधान के अन्यथा स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकती है। वास्तव में विधि आम आदमी को ऐसी गलतियों से बचाने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करता है, जिसके लिए विभिन्न कारणों से सामान्य विधि के अंतर्गत उपाय भ्रामक हो गया है।

'उपभोक्ता' शब्द एक व्यापक अभिव्यक्ति है। यह उस व्यक्ति से लागू होता है जो किसी भी वस्तु को खाने योग्य के रूप में या किसी दुकान, व्यावसायिक घराने, निगम, दुकान, उचित मूल्य की दुकान से निजी या सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग के लिए खरीदता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उपभोक्ता को 'वस्तुओं या सेवाओं का खरीदार' कहा गया है। ब्लैक विधि डिक्शनरी में इसका अर्थ समझाया गया है, 'जो उपभोग करता है। वे व्यक्ति जो उत्पादों और सेवाओं की खरीद, उपयोग, रखरखाव और निपटान करते हैं। लोगों के उस व्यापक वर्ग का एक सदस्य जो मूल्य निर्धारण नीतियों, वित्तपोषण प्रथाओं, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता से प्रभावित होता है, 405

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड। [अरविंद कुमार, जे.] 406

क्रेडिट रिपोर्टिंग, ऋण संग्रह और अन्य व्यापार प्रथाएं जिनके लिए राज्य और संघीय उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए गए हैं।' यह अधिनियम कम व्यापक अवज्ञा का विकल्प नहीं चुनता है। यह नीचे लिखा है:

“उपभोक्ता” से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

(i) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत कोई भी वस्तु खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है; या

((ख) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका भुगतान या वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान या वादे के लिए सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, या आंशिक रूप से

भुगतान और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है;

स्पष्टीकरण.— उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से शामिल नहीं है।

यह दो भागों में है। पहला माल से संबंधित है और दूसरा सेवाओं से संबंधित है। दोनों भाग व्यापक अभिव्यक्तियों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के अर्थ की घोषणा करते हैं। समावेशी खंड के उपयोग से उनका दायरा और बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए, यह न केवल माल का खरीदार या सेवाओं का किरायेदार है, बल्कि वे लोग भी हैं जो माल का उपयोग करते हैं या जो माल खरीदने वाले व्यक्ति की मंजूरी से सेवाओं के लाभार्थी हैं या जिन्होंने सेवाओं को किराए पर लिया है, वे भी इसमें शामिल हैं। विधायिका ने न केवल 'शिकायत', 'शिकायतकर्ता', 'उपभोक्ता' की अवहेलना करने के लिए सावधानी बरती है, बल्कि यह भी विस्तार से उल्लेख किया है कि खंड (आर) में एक विस्तृत अवज्ञा देकर अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर क्या होगा और यहां तक कि खंड (एफ) और (जी) द्वारा 'दोष' और 'अवज्ञा' की अवहेलना करने के लिए भी, जिसके लिए एक उपभोक्ता संपर्क कर सकता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

आयोग ने इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के आर्थिक हित की रक्षा करना है जैसा कि वाणिज्यिक अर्थों में माल के खरीदार के रूप में और सेवाओं के उपयोगकर्ता के व्यापक अर्थ में समझा जाता है।

21. इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि:

(i) 1993 के उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 50 (1993 के अध्यादेश 24 के स्थान पर) द्वारा 18-6-1993 से प्रभावी होने के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण स्पष्ट प्रकृति का है और सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू होता है। (ii) क्या किसी व्यक्ति ने जिस उद्देश्य के लिए माल खरीदा है, वह अधिनियम की धारा 2 (डी) में 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की अवज्ञा के अर्थ के भीतर एक 'वाणिज्यिक उद्देश्य' है या नहीं, यह हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाता है। (iii) एक व्यक्ति जो माल खरीदता है और स्वयं का उपयोग करता है, विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से, स्व-रोजगार के माध्यम से, 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की अवज्ञा के भीतर है। "

11. "उपभोक्ता" शब्द का एक सादा पाठ इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत भुगतान या वादा या आंशिक रूप से भुगतान और

आंशिक रूप से वादा किए गए किसी भी सामान को खरीदता है और इसमें ऐसे सामान को खरीदने वाले व्यक्ति के अलावा ऐसे सामान का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है। भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तुएं, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत, जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है। उपरोक्त अवज्ञा से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि संसद ने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को प्रज्वलित करने के लिए 'उपभोक्ता' के दायरे से बाहर रखा है, एक व्यक्ति जो फिर से बिक्री के लिए या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए माल या सेवाएं प्राप्त करता है। परिभाषा अनुभाग में उपयोग किए गए शब्दों के सादा शब्दकोश अर्थ को देखते हुए संसद का इरादा "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के दायरे से किसी भी व्यक्ति को बाहर करने के लिए समझा जाना चाहिए जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर लगी किसी भी गतिविधि में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से सामान खरीदता है। 'किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए' शब्दों को माल के पुनर्विक्रय के मामलों के अलावा अन्य मामलों को शामिल करने के रूप में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा न केवल उन व्यक्तियों को, जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी, जो किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने की दृष्टि से माल खरीदते हैं, अवज्ञा के दायरे से बाहर करने का था 407

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड। [अरविंद कुमार, जे.] 408

लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर। इस प्रकार, पुनर्विक्रय के लिए या बड़े पैमाने पर लाभ कमाने की गतिविधि में उपयोग के लिए सामान खरीदने वाले व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण के हकदार उपभोक्ता नहीं होंगे, जो इस परिभाषा खंड की एक स्पष्ट व्याख्या होगी। संसद का इरादा, जैसा कि अवज्ञा धारा से एकत्र किया जा सकता है, माल की खरीद करने वाले व्यक्तियों को या तो पुनर्विक्रय के उद्देश्य से या बड़े पैमाने पर लगी हुई लाभ कमाने की गतिविधि में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से अधिनियम के लाभ से वंचित करना है।

12. अधिनियम के अंतर्गत 'वाणिज्यिक उद्देश्य' अभिव्यक्ति की अवहेलना नहीं की गई है। इसकी अनुपस्थिति में हमें इसके सामान्य अर्थ के अनुसार चलना होगा। 'वाणिज्यिक' 'वाणिज्य से संबंधित' को दर्शाता है (कक्ष 20 वीं शताब्दी का शब्दकोश); इसका अर्थ है 'वाणिज्य से जुड़ा हुआ' या उसमें संलग्न; व्यापारिक; 'मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ प्राप्त करना' (कॉलिन का अंग्रेजी शब्दकोश); व्यापार से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ है और सामान्य रूप से व्यापार या वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। स्पष्टीकरण (1993 के उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 50 द्वारा जोड़ा गया (1993 के 24 के

अध्यादेश के स्थान पर) 'वाणिज्यिक उद्देश्य' अभिव्यक्ति के दायरे से कुछ उद्देश्यों को बाहर करता है-एक उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को बढ़ाने के लिए एक अपवाद के स्पष्टीकरण का मामला निश्चित रूप से ऐसी व्याख्या के आसपास के बादलों को साफ करेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदता है, वह निश्चित रूप से एक उपभोक्ता होगा, लेकिन यदि कार को वाणिज्यिक उद्देश्यों जैसे टैक्सी के लिए खरीदा जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है। हालांकि, स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि 'वाणिज्यिक उद्देश्यों' के लिए कुछ स्थितियों में खरीदारी भी खरीदार को 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की अवज्ञा से बाहर नहीं निकालेगी। दूसरे शब्दों में, यदि खरीदार स्वयं स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक उपयोग करता है, तो माल का ऐसा खरीदार 'उपभोक्ता' बना रहेगा। इस न्यायालय में

लीलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम विशिष्ट शांति डेवलपर्स का मामला

((उपरोक्त) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक मामले में एक सीधा सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है और व्यापक सिद्धांत जो यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं कि कोई गतिविधि या लेनदेन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, यदि माल या सेवाओं को खरीदने का प्रमुख उद्देश्य लाभ के लिए है और यह तथ्य अभिलेख से स्पष्ट है, तो ऐसा खरीदार 'उपभोक्ता' की परिभाषा के चार कोनों के भीतर नहीं आएगा। दूसरी ओर, यदि उत्तर नकारात्मक है, अर्थात् यदि ऐसा व्यक्ति माल या सेवाओं की खरीद करता है तो इसके लिए नहीं है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए और अपने स्वयं के उपयोग के लिए, यह लाभ नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी लेनदेन एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होगा जो लाभ के उद्देश्य से होगा और इस तरह ऐसे व्यक्ति को 'उपभोक्ता' की अवज्ञा से बाहर रखा जाएगा। जब उपभोक्ता न्यायालय या आयोग के समक्ष दायर शिकायत में यह दावा किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं को आजीविका कमाने के लिए खरीदा जाता है, तो ऐसी शिकायत को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन अभिवचनों के आधार पर करना होगा और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। मुख्य रूप से यह देखा जाना चाहिए कि क्या शिकायत में किए गए अभिकथन गुण-दोष के आधार पर इसकी जांच करने के लिए पर्याप्त होंगे और जवाब संबंध में होने की स्थिति में, इसे आगे बढ़ना चाहिए। इसके विपरीत, यदि उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसी शिकायत को सीमा पर खारिज किया जा सकता है। इस प्रकार, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की

अवज्ञा के दायरे में नहीं आने वाली ऐसी शिकायत के कारण शिकायतकर्ता पर मुकदमा न करने के दावों की जांच करने के लिए गणितीय सटीकता के साथ कोई अवज्ञा सूत्र नहीं हो सकता है।¹³ अब आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायत के अवलोकन जैसे तथ्यों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ताओं ने विशिष्ट रूप से अनुरोध किया है कि वे उनके लिए आधिकारिक स्थान की तलाश में थे।

स्व-रोजगार और अपना व्यवसाय चलाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए।

आयोग द्वारा शपथ पर दर्ज किए गए बयान में, शिकायत की स्थिरता की सुनवाई करते हुए, प्रथम अपीलार्थी ने कहा है कि वह पहले मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक डीलर के रूप में कास्टिक सोडा के व्यवसाय में लगा हुआ था और वर्तमान में निवेश/संपत्ति में लेनदेन के व्यवसाय में लगा हुआ था। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने प्रत्यर्थी से आधिकारिक स्थान खरीदने का प्रस्ताव दिया था ताकि या तो उसे अधिक कीमत पर बेचा जा सके या उक्त संपत्ति को भविष्य में बेचने के लिए निवेश के रूप में खरीदा जा सके। अपीलार्थी का कथन था कि वह निवेश/संपत्ति के लेन-देन के व्यवसाय में लगा हुआ है, वास्तव में यह सुझाव या संकेत नहीं देगा कि प्रत्यर्थी से खरीदी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थी। यहां तक कि प्रथम अपीलार्थी के बयान के अनुसार, वह पहले कास्टिक सोडा के व्यवसाय में लगा हुआ था और अब निवेश/संपत्ति में लेनदेन के व्यवसाय में लगा हुआ है। विभिन्न संभावनाएँ होंगी। दृष्टांत के माध्यम से यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं का इरादा इस संपत्ति को अपना व्यवसाय चलाने के लिए 409 डॉलर तक ले जाने का हो सकता है।

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वीआईपीयूएल लिमिटेड। [अरविंद कुमार, जे.]
410

अपनी आजीविका का उपयोग करें या मौजूदा व्यवसाय में काम करने के उद्देश्यों के लिए कार्यालय खोलें या प्रस्तावित कार्यालय के अपने मौजूदा व्यवसाय के कॉर्पोरेट कार्यालय या प्रमुख कार्यालय या शाखा कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि आयोग के समक्ष उनकी शिकायत के पैराग्राफ 6 में किया गया अभिकथन महत्वपूर्ण आधार प्राप्त करेगा और प्रासंगिक अभिकथन यहाँ ऊपर देखा गया है और दोहराने की कीमत पर जब पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जब अपीलार्थी अपने स्व-रोजगार के लिए आधिकारिक स्थान की तलाश में थे

और अपना व्यवसाय चलाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए "उन्होंने प्रवेश किया था मूल आवंटनकर्ताओं से इसे खरीदने का समझौता। न तो यह याचिका और न ही आयोग द्वारा दर्ज शपथ पर दिया गया बयान अपीलार्थियों के इस रुख पर विश्वास करेगा कि वे अपनी आजीविका के लिए आधिकारिक स्थान खरीदने का इरादा रखते थे। इस परिदृश्य में, आयोग

द्वारा आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 8 में दर्ज किया गया आदेश गलत है और धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत "उपभोक्ता" अभिव्यक्ति के परिभाषा खंड के विपरीत है।

14. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रतिवादी ने अपीलार्थियों को विपुल बिजनेस पार्क में आधिकारिक स्थान बेचने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेख से यह भी पता चलेगा कि भुगतान किए गए सभी अपीलार्थियों में 10,117/- या प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों से उक्त राशि प्राप्त की थी। हालाँकि, अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क देने का एक हल्का प्रयास किया गया है कि एकतरफा परिवर्तन हुआ था, अर्थात् प्रत्यर्थी ने 8 वीं मंजिल पर ऑफिशियल सी. ई. स्पेस (आई. डी. 1) को ऑफिशियल सी. ई. स्पेस (आई. डी. 1) को ऑफिशियल सी. ई. स्पेस (आई. डी. 1) बेचने पर सहमति व्यक्त की थी, हम उक्त याचिका पर उतना ध्यान देने के लिए इच्छुक नहीं हैं जितना कि समझौते पर अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे स्वीकार करने के संकेत के रूप में उन्होंने उक्त समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और अपीलकर्ताओं के लिए इस मुद्दे पर अपने कदम वापस लेने में बहुत देर हो चुकी है। उक्त तर्क खारिज किया जाता है।

15. खरीदार के समझौते का खंड 15 स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि समझौते की तारीख से 24 महीने के भीतर परिसर का कब्जा देने पर सहमति हुई थी जो निर्विवाद रूप से नहीं हुई थी, या दूसरे शब्दों में आवंटित कार्यालय स्थान समझौते की तारीख से 24 महीने की समाप्ति के बाद भी वितरित नहीं किया गया था। वास्तव में, प्रत्यर्थी के नेतृत्व में काउंटर एफ़ी डेविट फ़ाई में यह तर्क देते हुए एक टालमटोल इनकार किया गया है कि वाणिज्यिक स्थान के अनुमत कब्जे को रद्द कर दिया गया था

/

[2023] 14 एस सी आर।

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों को। हालाँकि, यह दलील नहीं दी जाती है कि अपीलार्थियों को आवंटित वाणिज्यिक स्थान कब्जे के लिए तैयार है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों को अग्रेषित 28.01.2014 दिनांकित खाते का विवरण प्रत्यर्थी द्वारा Rs.51,10,117/- के भुगतान की प्राप्ति का संकेत देगा। हालाँकि, प्रत्यर्थी को सेवा कर के लिए भुगतान प्राप्त हो गया है, लेकिन इसे खाते के विवरण में वापस नहीं किया जाता है। जो भी हो सकता है। अपनी मांग का पालन नहीं करने में प्रत्यर्थी की निष्क्रियता के कारण, अपीलकर्ताओं को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया जिसमें प्रत्यर्थी को प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से अर्जित ब्याज की मूल राशि, 10,117/- और 52,143/- सहित धनवापसी करने के लिए कहा गया और समझौते को समाप्त करके मानसिक पीड़ा के लिए 3,00,000/- के मुआवजे की भी मांग की गई।

16. सामान्य तौर पर, हम इस मामले को आयोग को वापस भेज देते ताकि शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके। हालाँकि, हम एक से अधिक कारणों से इस आकर्षक प्रस्ताव से बचते हैं। पहला, विवाद वर्ष 2006 से संबंधित है; दूसरा, अपीलार्थी पहले

ही अनुबंध को अस्वीकार कर चुके हैं। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में प्रत्यर्थी को कार्यालय परिसर के संबंध में बिक्री विलेख को निष्पादित करने का निर्देश देना उत्पन्न नहीं होगा, जो दावेदार का दावा भी नहीं है और केवल ऐसी प्रार्थना जिस पर जांच के लिए विचार किया जा सकता है, राशि की वापसी से संबंधित होगी। यह विवाद में नहीं है कि कुल मिलाकर प्रत्यर्थी को <आईडी1,10,117/- की राशि प्राप्त हुई है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन यह तर्क देते हुए कि जो किश्तें देय और देय थीं, उन्हें समय पर प्रेषित नहीं किया गया था और इस तरह विलंबित भुगतानों पर ब्याज देय है। हालांकि, रुपये की राशि की प्राप्ति। 51,10,117-प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं है। भवन या वाणिज्यिक परिसर पर कब्जा करने के लिए तैयार होने के संबंध में कोई याचिका नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में और दिनांक 1 के संचार में यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि प्रस्तावित कार्यालय परिसर को अपीलार्थियों के पक्ष में बेचा जाना है, जो कब्जा करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल इस तथ्य का प्रमाण देते हुए कि परिसर का अनुमेय कब्जा रद्द किया जा रहा था, यह नहीं माना जा सकता है कि कार्यालय परिसर का कब्जा जो कब्जा करने के लिए तैयार है, अपीलार्थियों को दिया जा रहा था। इसलिए, इक्विटी को संतुलित करने के लिए, प्रत्यर्थी को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना किए गए ब्याज के साथ अपीलार्थियों से प्राप्त राशि को वापस करने का निर्देश देना उचित होगा जो 411 प्रतिशत होगी।

रोहित चौधरी और ए. एन. आर. बनाम मेसर्स वी. आई. पी. यू. एल. लिमिटेड. [अरविंद कुमार, जे.]

न केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है, बल्कि अपीलकर्ताओं द्वारा किश्तों के विलंबित भुगतान के कारण प्रतिवादी को होने वाले ब्याज के नुकसान को भी निर्धारित करेगा और परिसंपत्ति के सराहनीय मूल्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी को बेचे जाने का प्रस्ताव किया गया था।

17. ऊपर बताए गए कारणों से हम इस अपील की अनुमति देते हैं, 2015 की उपभोक्ता शिकायत में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हैं और शिकायतकर्ता को शिकायत की तारीख से एक लाख रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 10,117/- की राशि वापस करने का निर्देश देते हुए शिकायत की अनुमति देते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

अंकित ज्ञान